

Visit **HDFC.com**

ब्याज सब्सिडी  
**6.50%\*\*** प्र.व.  
तक

# प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस)

अपने घर का मालिक बनिए और बचाइए

₹ **2.67 लाख\*\*** तक



*apni jagah banao*

## पीएमएवाई के अंतर्गत अपना पहला घर खरीदने के लाभ

सीएलएसएस स्कीम प्रकार	पात्रता घरेलू आय (₹)	कार्पेट एरिया अधि. (वर्ग मीटर)	आरओआई सब्सिडी (%)	सब्सिडी की गणना अधिकतम लोन पर	लोन का प्रयोजन	अधि. सब्सिडी (₹)
ईडब्ल्यूएस और एलआईजी (नई योजना)	₹6,00,000 तक	60 वर्ग मीटर*	6.50%	₹ 6,00,000	खरीदना/स्वनिर्माण/विस्तार	2.67 लाख
एमआईजी 1	₹6,00,001 से ₹12,00,000	160 वर्ग मीटर	4.00%	₹ 9,00,000	खरीदना/स्वनिर्माण	2.35 लाख
एमआईजी 2	₹12,00,001 से ₹18,00,000	200 वर्ग मीटर	3.00%	₹ 12,00,000	खरीदना/स्वनिर्माण	2.30 लाख

\* ईडब्ल्यूएस – एलआईजी श्रेणी में, स्वनिर्माण एवं खरीदी के मामलों में अधिक एरिया के बारे में विचार किया जा सकता है।

### सीएलएसएस की मुख्य खूबियाँ

- लाभार्थी परिवार के पास अपने नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
- परिवार यानी पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे।

### एचडीएफसी होम लोन्स की खूबियाँ

- शीघ्र और आसान होम लोन्स।
- हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए एक्सपर्ट्स की समर्पित टीम।
- सरल प्रक्रिया / समस्या रहित प्रक्रिया।

Call:  
**98183 27381**



Disclaimer: \*\*All loans at the sole discretion of HDFC Ltd. For detailed terms & conditions visit [www.hdfc.com](http://www.hdfc.com). Subsidy as per detailed terms and conditions of CLSS as stipulated by Government of India. For further details, please visit [www.hdfc.com/pradhan-mantri-awas-yojana-clss](http://www.hdfc.com/pradhan-mantri-awas-yojana-clss). CIN:L70100MH1977PLC019916